

17/3/8

प्राथमिकी प्रमाण है। अधिवक्ता अपीलें  
 दर्शाते। परीक्षा सरकार द्वारा  
 अधिवक्ता अपीलें द्वारा अपीलें प्रमाण  
 पर बहाने हेतु निवेदन किया गया।  
 अधिवक्ता अपीलें द्वारा किया गया  
 निवेदन रबीकर किया गया है।  
 उभयपक्ष द्वारा की गई बहाने का  
 प्रमाण प्रमाण अपीलें का अपीलें  
 किया गया। मन्त्र किया। प्राथमिकी  
 पर अपीलें दर्शाते का अपीलें  
 किया गया। नवम्बर 1981 दि: 7/1/2008  
 का अपीलें किया गया। 11/11/2008  
 दि: 7/1/2008 तदधीनकार राशि द्वारा  
 रबीकर किया गया है। अपीलें  
 सुनने का अधिकार मन्त्र प्रमाण  
 को नहीं है। तदधीनकार द्वारा निवेदन  
 अधिवक्ता नामान्तरण रामधाम  
 मुद्रास्थ अधिनियम 1956 की धारा  
 1(1) के प्रावधानानुसार अपीलें  
 की जायेगी कलम 10 की धारा

उपस्थित अधिकारी  
 राशिमी

FORM No. III

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

*(Handwritten signature)*  
4

जज अदालत ज्यात मद्यकुल

मुकाम : राशमी

मोती लाल

बनाम

नरेश्वर लाल शर्मा

किस्म मुकदमा श. भूमी

नं.

10

सन्

2016

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
|             | <p>भूधवार है। इसी दिनांक में भूधवार भूमी-<br/> लोट की भूमी लज्जाधवार के बिन्दु<br/> पर शरीज की धरी है। भूधवार भूमी-<br/> लोट संक्रम जामालिम में धारण करके<br/> है। स्वतंत्र है। धारण की उपाय निमित्त<br/> इन्डान की धारण लवक भवश्रुत कार्यवाही<br/> उपभोग्यार मेकी धरें। निर्णय सुले<br/> जामालिम में सुन्य रम्य।</p> <p style="text-align: right;"><b>उपखण्ड अधिकारी</b><br/>राशमी</p> |   |